UGC Approved Journal
Research Link
Since March 2002
An International, Registered & Refereed Monthly Journal : Law
Research Link - 169, Vol - XVII (2), April - 2018, Page No. 84-86
ISSN - 0973-1628 ■ RNI - MPHIN-2002-7041 ■ Impact Factor - 2015 - 2.782

जांचों और विचारणों में दण्ड न्यायालय की अधिकारिता

प्रस्तुत शोधपत्र, जांचों और विचारणों में दण्ड न्यायालय की अधिकारिता से सम्बंधित है। आपराधिक विधिशास्त्र का सामान्य सिद्धांत यह है कि प्रत्येक अपराध की जांच और विचारण मामूली तौर पर ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाएगा, जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अन्दर वह अपराध किया गया है। लेकिन क्या यह हर परिस्थितियों में संभव है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 13 के अनुसार इस सामान्य सिद्धान्त के कई अपवाद हैं, जो धारा 177 से 189 तक विस्तृत हैं, जो कहीं-न-कहीं से सबूत मिलने की संभावना, गवाहों की सुविधा आदि को ध्यान में रखकर प्रावधानिक किया गया है।

नित्यानन्द पाण्डे

प्रस्तावना :

जब कोई अपराध कारित किया जाता है, तब यह प्रश्न उठना लाजमी हो जाता है कि किस स्थान पर अवास्थित न्यायालय के द्वारा इसका विचारणकिया जा सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी न्यायालय की अधिकारिता को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। अर्थिक, क्षेत्रीय व विषय वस्तु सम्बन्धित अधिकारिता। वस्तु जब हम आपराधिक न्यायालय के अधिकारिता की बात करते हैं, तो यह क्षेत्रीय, विषयवस्तु व दण्ड की माता से सम्बधित होती है। प्रस्तुत शोधपत्र में हम आपराधिक न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकारिता पर विस्तार में चर्चा करेंगे।

आपराधिक न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता :

क्षेत्रीय अधिकरिता का तात्पर्य यह कि किस भू–भाग पर दाण्डिक न्यायालय अपनी अधिकारिका का प्रयोग कर सकता है और कब कोई अपराध जो उसकी क्षेत्रीय अधिकारिता में घटित नहीं हुआ है, वो भी उसका विचारण कर सकता है अर्थात् ऐसे अपराध उसकी क्षेत्रीय अधिकारिता में अन्दर ही घटित हुए माने जाएंगे। इस सबसे सम्बन्धित प्रावधानों का उल्लेख दण्ड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 13 में किया गया है, जो धारा 177 से लेकर 189 तक विस्तृत है।

जांच और विचारण का स्थान :

इस सम्बन्ध में धारा 177 में प्रथम और महत्वपूर्ण सिद्धान्त उल्लिखित है। इस सम्बन्ध में प्रथम और महत्वपूर्ण सिद्धान्त यह है कि जिस दण्ड न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता में कोई अपराध हुआ है, साधारणतया उसी न्यायालय को उस अपराध में सम्बन्ध में जांच और विचारण की अधिकारिता होती है।

साधारणतया शब्द का तात्पर्य यह है कि जब तक इस उपबन्ध का अपवाह संहिता या किसी अन्य विधि द्वारा न बताया जाए, तब तक इसी उपबन्ध के अनुसार जांच या विचारण उसी न्यायालय द्वारा किया जाएगा, जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अन्दर अपराध किया गया है। पुरूषोत्तदास डालमिया बनाम् पश्चिमी बंगाल राज्य में उपरोक्त सिद्धान्त में थोड़ा संशोधन किया गया है। इस मामले में यह मत व्यक्त किया गया है कि यह आवश्यक नहीं कि स्पष्ट रूप से ही अपवाह किया जाए। यदि अस्पष्ट रूप से भी अपवाद निकलता है, तो यह भी माना जाएगा। किसी जांच या विचारण का स्थान प्रारम्भ में उन तथ्यों के आधार पर निश्चित किया जाता है, जो परिवाद या आरोप पत्र में दिए गए हैं और जब तक उनको गलत सिद्ध न किया जाए तब तक उन्हीं के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

संहिता की धारा 462 में यह उपबन्धित है कि यदि कोई जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया गया है, जिस को स्थानीय अधिकारिता नहीं थी, तो वह जांच या विचारण केवल इसी कारण अवैध नहीं होगा। जब तक कि ऐसी जांच या विचारण से अभियुक्त पर प्रतिकुल प्रभाव न पड़ा हो। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि न्यायालय यह जानते हुए भी कि उसे स्थानीय अधिकारिता नहीं है, जांच या विचारण की कार्यवाही करे। इसलिए यदि किसी व्यक्ति को स्थानीय अधिकारिता पर आपत्ति करनी है, तो उसे प्रारम्भ में ही करनी चाहिए। देर से आपत्ति करने पर उस पर विचार नहीं होगा, जब तक कि प्रतिकूल प्रभाव न पड़ा हो।

धारा 175 में 186 में उन परिस्थितियों का वर्णन है, जहाँ उपरोक्त सिद्धान्त से हटकर अन्य स्थानों के दण्ड न्यायालयों में भी जांच या विचारण किया जा सकता है। ये परिस्थितियों निम्मनलिखित हैं :

(1) जहाँ यह निश्चित नहीं है कि कई स्थानीय क्षेत्रो में से किस क्षेत्र में अपराध किया गया है।

इस पर तीन प्रकार से विचार किया जा सकता है :

(क) जब उस स्थान पर ठीक पता न हो जहां अपराध हुआ

सहायक प्राध्यापक, अमेटी लॉ स्कूल, अमेटी विश्वविद्यालय, जयपुर (राजस्थान)

है। जैसे किसी व्यक्ति ने 'अ' नाम के लेखपाल को कुछ रूपये लगान में जमा करने को 'ब' स्थान पर दिए। उसे रूपये 'स' स्थान में जमा नही किए। यहाँ यह पता नहीं कि उसने गबन कहाँ किया।

(ख) जब उस स्थान का पता है, जहाँ अपराध हुआ है, किन्तु यह ठीक पता नहीं कि वह किस जिले या उपखण्ड से स्थित है।

(ग) जहाँ यह पता है कि विभिन्न खण्डों में कौन–कौन से कार्य हुए हैं, किन्तु यह नहीं पता कि किस दण्ड में किस अपराध का होना माना जाएगा।

ऐसे मामलों में विचारण हर एक न्यायालय में किया जा सकता है, जिसकी क्षेत्रीय अधिकारिता में अपराध होने का संदेह है।

(2) जहां अपराध अंशतः एक स्थानीय क्षेत्र में और अंशतः किसी दूसरे क्षेत्र में किया गया है।

जैसे कि 'अ' ने 'ब' स्थान पर 'स' को टेलीफोन करके धमकी दी। 'स' ने टेलीफोन 'द' स्थान पर सुना है। यहाँ धमकी वाला कार्य अंशतः 'ब' स्थान पर और अंशतः 'द' स्थान पर हुआ है।

ऐसे मामलों में विचारण हर एक न्यायालय में किया जा सकता है, जिसकी क्षेत्रीय अधिकारिता में अपराध अंशतः घटित हुआ है।

(3)जहाँ अपराध एक से अधिक स्थानीय क्षेत्रों में चालू रहता है, उन सभी जगह विचारण हो सकेगा।

जैसे कि अपहरण का अपराध चालू रहने वाला अपराध है। अत जहाँ–जहाँ अपहृत व्यक्ति को ले जाया जाएगा, उन सभी क्षेत्रों में यह अपराध होगा।

किन्तु व्यपहरण चालू अपराध नहीं है। जिस स्थान से किसी के संरक्षण से किसी व्यक्ति का व्यपहरण कर लिया गया है, वहीं यह अपराध पूर्ण हो जाता है। जहाँ अन्य जगह ले जाया गया है, वहाँ यह अपराध नहीं होता है।

(4)जहाँ अपराध विभिन्न स्थानीय क्षेत्रों में किए गए कई कार्यों से मिलकर बनता है, वहाँ उन सभी क्षेत्रों में विचारण किया जा सकेगा।

जैसे कि 'अ' ने एक जाली रसीद 'ब' स्थान पर बनाई और अपने अभिकर्ता द्वारा 'स' को 'द' स्थान पर वह रसीद भेजी। इसमें 'ब' ओर 'द' दोनों स्थानों पर जाली रखीद देने का कुछ कुछ काम हुआ है।

उक्त अवस्थाओं में जिन जिन क्षेत्रों में उपरोक्त बातें हुई हैं, उनमें से किसी भी क्षेत्र में उस अपराध की जांच या विचारण हो सकता है।

अपराध वहाँ विचारणीय होगा जहाँ कार्य किया गया है या जहाँ परिणाम निकला है।

जब कोई कार्य किसी की गई बात से और किसी निकले हुए परिणाम के कारण अपराध है, तब ऐसे अपराध की जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अन्दर ऐसी बात की गई हो या ऐसा परिणाम निकला हो।

यदि किसी लड़की का व्यपहरण 'क' स्थान पर किया गया है और उसके साथ बलात्संग 'ख' स्थान पर किया गया है, तो दोनों अपराधों के लिए विचारण अलग अलग उन न्यायालयों में किया जाएगा जिनकी अधिकारिता में क्रमशः व्यपहरण और बलात्संग किया गया है। ऐसे मामले में धारा 179 लागू नहीं होती।

(5) जहाँ कार्य अन्य अपराध से सम्बन्धित होने के कारण अपराध है, वहाँ विचारण का स्थान

जब कोई कार्य किसी ऐसे अन्य कार्य से सम्बन्धित होने के कारण अपराध है, जो स्वयं भी अपराध है या अपराध होता यदि कर्ता अपराध करने के लिए समर्थ होता, तब प्रथम वर्णित अपराध की जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अन्दर उन दोनों में से कोई भी कार्य किया गया है। निम्नलिखित उदाहरणों में यह स्पष्ट हो जाएगा :

'क' स्थान पर चोरी का माल रखने का अपराध किया गया। इस अपराध का सम्बन्ध माल के चोरी करने से है इसलिए जहां माल चोरी हुआ या जहाँ चोरी का माल रखा पाया गया, दोनों जगह चोरी का माल रखने के अपराध की जांच या विचारण हो सकता है।

जिस स्थान पर चोरी करने का अपराध किया गया है, वहाँ यदि चोरी का कार्य किसी ऐसे व्यक्ति ने, जे अपराध करने के लिए समर्थ नहीं है, जैसे साल साल से कम आयु का व्यक्ति या पागल या अपनी इच्छा के विरूद्ध कराए गए नशे में अपराध किया है, तो वह कार्य अपराध न होने पर भी चोरी का माल रखने से सम्बन्धित है, इसलिए इस स्थान पर भी विचारण या जांच हो सकती है।

(6) कुछ अपराधों की दशा में विचारण का स्थान

(1) निम्नलिखित अपराधों की जांच या विचारण उन क्षेत्रों में से किसी क्षेत्र में हो सकती है, जहाँ ये अपराध किए गए हो या जहाँ अपराधी पाए जाएँ :

(2) ठग होना,

(3) ठग द्वारा हत्या,

(4) डकैती डालना,

(5) डकैती जिससे हत्या हुई हो,

(6) डकैती की टोली का सदस्य होना और

(7) अभिरक्षा में से निकल भागना।

(ख) किसी व्यक्ति के व्यपहरण या अपहरण का निम्नलिखित क्षेत्रों में जांच या विचारण किया जा सकता है :

(1) जिस क्षेत्र में अपहरण या व्यपहरण का अपराध किया गया हो।

(2) जिस क्षेत्र में अपहृत व्यक्ति की ले जाया गया या छिपाया गया या निरूद्ध किया गया हो।

(ब) चोरी, उद्दापन या लूट के अपराध की जांच या विचारण निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसी क्षेत्र में किया जा सकता है :

(1) जिस क्षेत्र के अन्दर ऐसा अपराध किया गया हो, या

(2) जहाँ इस अपराध द्वारा प्राप्त की गई सम्पति चोरी करने वाले व्यक्ति के कब्जे में हो,

(3) जहाँ किसी ने उस चुराई हुई सम्पत्ति को यह जानते हुए या विश्वास करते हुए कि वह चुराई हुई सम्पत्ति है, रखा हो,

(4) यदि चलती गाड़ी में लुट 'क' स्थान की अधिकारिता के न्यायालय में हुई है और उसकी रिपोर्ट 'ख' स्थान की अधिकारिता के न्यायालय में की गई है तो विचारण वही सेंशन न्यायालय कर सकता है, जिसकी अधिकारिता में लुट का अपराध किया गया है।

(स) आपराधिक दुर्विनियोग या आपराधिक न्यास भंग का निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसी क्षेत्र में जांच या विचारण किया जा सकता है :

(1) जिस क्षेत्र में यह अपराध किया गया है, या

(2) जिस क्षेत्र में इस अपराध द्वारा प्राप्त की गई सम्पत्ति को या उसके किसी भाग को प्राप्त किया गया या रखा गया है,या

(3) जिस क्षेत्र में अभियुक्त को वह सम्पत्ति वापस करनी थी या उसका हिसाब देना था।

(7) किसी ऐसे अपराध की जिससे चुराई हुई सम्पति का कब्जा भी है, जांच या विचारण निम्नलिखित क्षेत्रों में किया जा सकता है :

(क) जहाँ वह अपराध किया गया है, या

(ख) जहाँ चुराई हुई सम्पत्ति किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा कब्जे में रखी गई है, जो जानता था या जिसे विश्वास या कि वह चुराई हुई सम्पत्ति है।

(8) पत्रों आदि द्वारा किए गए अपराध

किसी ऐसं अपराध की, जिससे छल करने का अपराध भी शामिल है, जांच या विचारण, यदि ऐसी प्रवंचना पत्रों या दूरसंचार संदेशों के माध्यम से की गई है, तो निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसी क्षेत्र में किया जा सकता है :

(1) जिस क्षेत्र में ऐसे पत्र या सन्देश भेजे गए हैं, या

(2) जिस क्षेत्र में ऐसे पत्र या सन्देश प्राप्त हुए हैं।

छल करने या बेईमानी से सम्पत्ति देने के लिए लालच देने के अपराध की जांच या विचारण निम्नलिखित क्षेत्रों में किया जा सकता है', जहाँ वह सम्पत्ति उस व्यक्ति ने, जिस धोखा दिया गया हो, दी हो,या जहाँ अभियुक्त को वह सम्पत्ति प्राप्त हुई हो।

(9) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 494 या धारा 495 के अधीन दण्डनीय अपराध जांच या विचारण निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसी क्षेत्र में किया जा सकता है:

(1) जिस क्षेत्र में वह अपराध किया गया है, या

(2) जिस क्षेत्र में अपराधी ने प्रथम विवाह की अपनी पत्नी या पति के साथ अन्तिम बार निवास किया है, या

(3) जिस क्षेत्र में प्रथम विवाह की पत्नी अपराध के किए जाने के पश्चात् स्थायी रूप से निवास करती है।

(10) यात्रा या जलयात्रा में किया गया अपराध

यदि अभियुक्त ने कोई अपराध किया व्यक्ति या वस्तु के सम्बन्ध में तब किया हो, जब वह यात्रा या जलयात्रा कर हो तो उस अपराध की जांच या विचारण निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसी क्षेत्र में किया जा सकता है।

(1) जहाँ–जहाँ से होकर वह व्यक्ति यात्रा या जल यात्रा के दौरान गया हो या

(2) जहाँ–जहाँ से होकर वह वस्तु उस यात्रा या जलयात्रा के दौरान गई हो।

उपरोक्त उपबन्धों के अनुसार सम्भव है कि एक ही अपराध के मामले विभिन्न न्यायालयों में फाइल कर दिए गए हो और यह प्रश्न उठ सकता है कि उनमें से किस न्यायालय में यह जांच या विचारण होना चाहिए। वैसे भी यह ठीक ही है कि एक स्थान पर जांच या विचारण हो। इसके लिए उच्च न्यायालय को शक्ति दी गई है कि वह यह तय कर सके कि किस स्थान पर विचारण किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में यह देखना है कि किस उच्च न्यायालय हो निदेश देने की शक्ति है। इसके लिए निम्नलिखित उपबन्ध है :

(क) जिन न्यायालयों में विचारण होना है, यदि वे एक ही उच्च न्यायालय के अधीनस्थ हैं, तो वह उच्च न्यायालय।

(ख) जिन न्यायालयों में विचारण होता है, यदि वे विभिन्न उच्च न्यायालयों के अधीनस्थ है, तो वह उच्च न्यायालय जिसकी अधिकारिता में कार्यवाही पहले आरम्भ की गई हो।

(11) भारत के बाहर किए गए अपराधों की जांच या विचारण

इस शक्ति का निम्नलिखित प्रकार के अपराधियों के लिए उपयोग के लिए उपयोग किया जा सकता है :

(क) यदि अपराधी भारत का नागरिक है और उसने अपराध भारत के बाहर कहीं भी किया है।

(ख) यदि अपराधी भारत का नागरिक नहीं है। उसके विरूद्ध कार्यवाही तभी की जा सकती है, जब उसने वह अपराध किसी ऐसे जहाज या विमान पर किया है, जो भारत में रजिस्ट्रीकृत है।

इन व्यक्तियों के विरूद्ध अपराध की जांच या विचारण की कार्यवाही तभी की जा सकती है जब केन्द्रीय सरकार ने उनके विरूद्ध जांच या विचारण करने की अनुमति दे दी हो। इनकी जांच या विचारण भारत के किसी क्षेत्र में जहां ये व्यक्ति पाए जाएँ, किया जा सकता है। यदि केन्द्रीय सरकार द्वारा विधिमान्य अनुमति प्रदान कर दी गई हो तो उच्च न्यायालय अपनी अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस प्रश्न पर विचार नहीं करेगा कि वाद हेतुक उसकी अधिकारिता में उत्पन्न हुआ था। विचारण न्यायालय नियमित विचारण के दौरान ही उस बात पर विचारण कर सकता है कि क्या अनुमति विधिमान्य है या नहीं।

❁❁

UGC - APPROVED - JOURNAL

UGC Journal Details	
Name of the Journal :	Research Link
ISSN Number :	09731628
e-ISSN Number :	
Source:	UNIV
Subject:	Accounting;Anthropology;Business and International Management;Economics, Econometrics and Finance(all);Education;Environmental Science(all);Finance;Geography, Planning and Development;Law;Political Science a;Social Sciences(all)
Publisher:	Research Link
Country of Publication:	India
Broad Subject Category:	Arts & Humanities;Multidisciplinary;Social Science

UGC Approved Journal
Research Link
Since March 2002
An International, Registered & Refereed Monthly Journal : Law
Research Link - 169, Vol - XVII (2), April - 2018, Page No. 87-88
ISSN - 0973-1628 ■ RNI - MPHIN-2002-7041 ■ Impact Factor - 2015 - 2.782

शिक्षा का अधिकार - एक मूल अधिकार

प्रस्तुत शोधपत्र, शिक्षा के अधिकार, जो कि एक मूल अधिकार से सम्बंधित है। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है, जो हमारे जीवन को एक नई विचारधारा, नया सवेरा देता है। यह हमें एक परिपक्व समाज बनाने में मदद करता है। यदि शिक्षा के उद्देश्य सही दिशा में हों, तो ये इंसान को नए-नए प्रयोग करने के लिए उत्साहित करता है। शिक्षा और संस्कार साथ-साथ चलते हैं या कहा जा सकता है कि दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। शिक्षा हमें संस्कारों को समझने और बदलने और बदलती सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप उनका अनुसरण करने की समझ देती है। कुल मिलाकर कहा जाए तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा केवल 14 वर्षों तक ही नहीं, बल्कि कॉलेज व विश्वविद्यालय तक के विद्यार्थियों के लिए होनी चाहिए। आज शिक्षा जिस मुकाम पर पहुँच चुकी है, वहाँ उसमें आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है।

संदीप गहलोत

"जिस प्रकार रात्रि का अंधकार केवल सूर्य दूर कर सकता है, उसी प्रकार मनुष्य की विपत्ति को केवल ज्ञान दूर कर सकता है।" – नारदभक्ति

शिक्षा किसी भी सभ्य समाज की एक प्रमुख आवश्यकता है, बल्कि कहना चाहिए कि शिक्षा ही समाज को सभ्य बनाती है। शिक्षा से ही राष्ट्र की, समाज की और व्यक्ति की उन्नति सम्भव है। इसलिए दुनिया के अनेक देशों में शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। एक शिक्षित का अधिकार एक नागरिक स्वयं को विकसित के साथ ही साथ देश का भी विकास की ओर आगे बढाने में योगदान करता है।

शिक्षा का प्रथम उद्देश्य बच्चों को एक परिपक्व इन्सान बनाना होता है, ताकि वे कल्पनाशील, वैचारिक रूप से स्वतंत्र और देश का भावी कर्णधार बन सके ; किंतु भारतीय शिक्षा–पद्धति अपने इस उद्देश्य मे पूर्ण सफलता नहीं प्राप्त कर सकी है। कारण बहुत हैं। सबसे पहला तो यही कि अँगूठा छाप लोग निर्णय करते हैं कि बच्चों को क्या पढ़ना चाहिए। जो कुछ शिक्षाविद् हैं, वे अपने दायरे और विचारधाराओं से बँधे हैं और उनसे निकलने या कुछ नया सोचने से डरते हैं, ऊपर से राजनीतीज्ञों का अपना एजेंडा होता है। आज शिक्षा के मायने बदल गए हैं, क्योंकि लोगों के सोचने का तरीका बदल गया है।[1]

भारत की आजादी के कई वर्षो बाद में भारतीय संविधान मे 86 वां संशोधन कर वर्ष 2002 में संविधान के अनुच्छेद 21 में एक का नया अनुच्छेद 21(क) को शिक्षा के मूल अधिकार के रूप मे जोड़ा गया है। इसके उपरांत शिक्षा के उत्थान के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम बालकों का निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो कि 1 अप्रैल 2010 को सम्पूर्ण भारत में लागू हुआ। जो यह उपबन्धित करता है कि ''राज्य ऐसी रीति से जैसा कि विधि बनाकर निर्धारित करे। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए उपबंध करेगा।'' शिक्षा का अधिकार एक मूलभूत मानव अधिकार है।

साथ ही भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के निति निदेशक तत्व के अनुच्छेद 45 के अधीन राज्य को ''छः वर्ष से कम आयु के बालको को लिए प्रारम्भिक बाल्यावस्था देख रेख और शिक्षा का उपबन्ध करेगा''।[2] भारतीय संविधान तथा भाग 4क में अनुच्छेद 51(क) में मूल कर्त्तव्यों में एक कर्त्तव्य 'ट' के रूप में जोड़ा गया जिसके अनुसार 6 से 14 वर्ष के आयु बालको के माता–पिता और प्रतिपाल्य के संरक्षकों का कर्त्तव्य होगा कि वे उन्हें शिक्षा का उचित अवसर प्रदान करें।[3]

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 धारा 3 के अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के हर बालक को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने तक पडोस के विद्यालय मे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा। एवं धारा 4 के अनुसार ऐसे बालक जो 6 से अधिक की आयु के हैं और जिन्होंने किसी भी विद्यालय में प्रवेश नहीं लिया या प्रवेश लेकर प्राथमिक शिक्षा पूर्ण नहीं की है, वे भी अपनी आयु अनुसार अनिवार्य व निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे बालकों को समर्थ बनाने के लिए विशेष प्रशिक्षण का भी तथा चौदह वर्ष के पश्चात् भी उनकी प्राथमिक शिक्षा पूर्ण हो जाने तक कथित बच्चो को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है तथा अधिनियम की धारा 10 में माता–पिता और संरक्षक का कर्तव्य अधिशोषित करती है कि वह अपने बालकों या प्रतिपाल्य को पडोसी विद्यालय मे प्रारम्भिक शिक्षा के लिए प्रवेश करावे।[4]

इस बीच उच्चतम न्यायालय ने मोहिनी जैन बनाम् कनार्टक राज्य[5] के मामले में निर्धारित किया गया कि शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में निहित है। शिक्षा

शोधार्थी (विधि विभाग), जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर (राजस्थान)

के बिना वह अपने मूल अधिकार प्रयोग ठीक ढंग से नहीं कर सकता है, तो वहीं वह बिना शिक्षा के मनुष्य नहीं बन सकता। शिक्षा का अधिकार उसका मूल अधिकार है, किन्तु ये निर्णित नहीं किया कि किस आयु तक के बालकों के लिए शिक्षा आवश्यक है।

उन्नीकृष्णन बनाम आन्ध्रप्रदेश[6] के मामले पुनः यह प्रश्न उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचारार्थ आया। ऐसे में उच्चतम न्यायालय ने मोहिनी जैन में दिए गए अपने निर्णय को नहीं माना कि नागारिकों को केवल शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। माननीय न्यायालय ने यह निर्णय दिया की अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार है, परन्तु उसे नीति निर्देशक तर्थ्यो को ध्यान में रखते हुए अर्थात राज्य की वित्तीय स्थिति को देखते हुए एक विशेष आयु वर्ग अर्थात् 6 वर्षों से 14 वर्ष के बालकों के लिए प्रदान किया जा सकता है।

एन. कोमेन बनाम मनिपुर राज्य[7] के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयानुसार संसद द्वारा पारित शिक्षा के मूल अधिकार और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के क्रियान्वयन के साथ–साथ बालकों के शिक्षा व विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा। बालकों को शिक्षा के लिए एक गाँव से दूसरे गाँव नहीं जाना पड़े। गाँव में निकट स्थान पर सरकार स्कूल का निर्माण करावे, जहाँ बालक आसनी से शिक्षा प्राप्त कर सके।

बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ[8] में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रामास्वामी ने कहा कि, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में अशिक्षा एक बुराई है। जिस वजह से नागरिक अपने राजनैतिक सामाजिक अधिकारों एवं कर्त्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पाते, इसलिए शिक्षा अतिआवश्यक है।

बैनेट कोलेमन एवं अन्य बनाम भारत संघ[9] में प्रतिपादित किया गया कि अनुच्छेद 41 के अनुसार राज्य का कर्तव्य है कि नागरिकों को शिक्षित करने के लिए आवश्यक कदम उठाये, जिसमें आर्थिक संसाधनो के साथ साथ राजनैतिक शिक्षा भी प्रदान कराए।

गणपति राष्ट्रीय प्राथमिक विद्यालय बनाम् एम. दुराई खन्ना में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि शिक्षा का अधिकार बालकों का मूल अधिकार है।

उच्चतम न्यायालय ने हाल मे एक मामले में कहा कि, शिक्षा के अधिकार को अर्थपूर्ण बनाने के लिए यह आवश्यक है कि किसी भी बालक को तीन किलोमीटर या उससे ज्यादा दूर न जाना पड़े। उच्च प्राथमिक विद्यालय को इसे ही आधार मानकार खोलना चाहिए। सरकार का कर्तव्य है कि केवल मात्र मान्यता देना ही नहीं, बल्कि समय–समय पर जाँच करे कि आधारभूत सुविधाएँ हैं कि नहीं।

शिक्षा एक ऐसा माध्यम है, जो हमारे जीवन को एक नई विचारधारा, नया सवेरा देता है। यह हमें एक परिपक्व समाज बनाने में मदद करता है। यदि शिक्षा के उद्देश्य सही दिशा में हों तो ये इनसान को नए–नए प्रयोग करने के लिए उत्साहित हैं। शिक्षा और संस्कार साथ–साथ चलते हैं, या कहा जाए तो एक–दूसरे के पूरक हैं। शिक्षा हमें संस्कारों को समझने और बदलने और बदलती सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप उनका अनुसरण करने की समझ देती है। निष्कर्षतः देखा जाए तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा केवल 14 वर्षों तक ही नहीं, बल्कि कॉलेज व विश्वविद्यालय तक आयु के बालकों के लिए होनी चाहिए। आज शिक्षा जिस मुकाम पर पहुँच चुकी है, वहाँ उसमें आमूल परिवर्तन की जरूरत है। ये कुछ सुझाव हैं, जिन्हें अमल में लाया जासकता है :

सुझाव :

(1) सभी सरकारी कार्मिकों की सतांने भी सरकारी स्कूल में पढ़े।

(2) शिक्षकों के स्थानातंरण नीति नवीनीकरण नीति के अनुसार हो तथा राजनीति हस्तक्षेप न हो।

(3) जो नीति बनी है, उसमें किसी प्रकार का भाई – भतीजावाद या परिवारवाद या रसुखदारी प्रथा नहीं होनी चाहिए।

(4) विद्यार्थी अनुपात में शिक्षक व अन्य सहयोगी कर्मचारी होने चाहिए व विद्यार्थी व शिक्षकों को मूलभूत सुविधाएँ प्रदान करवानी चाहिए।

(5) निजी शिक्षण संस्थाओं से अधिक सरकारी स्कूलों में संसाधन बढ़ाये जाने चाहिए। इस हेतु संसद व राज्य की विधान सभाओं में अधिक से अधिक बजट शिक्षा हेतु रखा जाना चाहिए।

(6) शिक्षकों को गैर–शैक्षणिक कार्य से मुक्त किया जाना चाहिए।

(7) शिक्षकों का समय–समय पर विषय के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अुनसार प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया जाना चाहिए।

(8) शिक्षकों को शैक्षणिक कार्य का वार्षिक प्रतिवेदन के आधार राष्ट्रीय व राज्य तथा जिला स्तर पर सम्मान करना चाहिए।

सन्दर्भ :

(1) मल्होत्रा, ममता एवं शर्मा, महेश (2015) : शिक्षा का अधिकार।

(2) *पाण्डेय, डॉ जयनारायण (2013) : भारत का संविधान।*

(3) *पाण्डेय, डॉ जयनारायण (2013) : भारत का संविधान।*

(4) *निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2009.*

(5) *(1992)3, एस.सी.सी. 666.*

(6) *(1993)4, एस.सी.सी. 645.*

(7) *ए.आई.आर 2010, मणिपुर 102.*

(8) *ए.आई.आर 1982, एस.सी. 803.*

(9) *ए.आई.आर 1973, एस.सी. 106.*

❁❁

UGC -

APPROVED - JOURNAL